Result Mitra Daily Magazine

एकीकृत पेंशन योजना (UPS)

✓ **हालिया संदर्भ :**

- हाल ही में केन्द्र सरकार के कर्मचारियों के लिये एक नई एकीकृत पेंशन योजना (UPS) को मंजूरी दी गई है।
- यह नई पेंशन योजना 1 अप्रैल 2025 से प्रभावी होगा।

✓ **UPS :**

- नई पेंशन योजना के तहत कर्मचारियों के सेवा के अंतिम 12 महीनों में प्राप्त औसत वेतन का 50% पेंशन के रूप में दिया जाएगा।
- नई व्यवस्था को सुनिश्चित करने के लिये सरकार ने पेंशन कोष में सरकारी योगदान को कर्मचारियों के मूल वेतन एवं महंगाई भत्ते की वर्तमान सीमा 14% से बढाकर 18.5% कर दिया है।
- इस नए योजना से पहले वित्तीय वर्ष (2025-26) में अतिरिक्त 6250 करोड रूपये की लागत की संभावना है।
- यह योजना उन सभी केन्द्रीय कर्मचारियों के लिये लागू होगा, जिन्होंने सेवा में न्यूनतम 25 वर्ष पूरा कर लिया हो।
- सरकार ने नई योजना की घोषणा टी. वी. सोमनाथन समिति की रिपोर्ट के आधार पर की गई है, जिसे 2023 में गठित किया गया था।

✓ वर्गीकरण :

1. सुनिश्चित पेंशन (Assured Pension) :

- 25 वर्ष की न्यूनतम सेवा अवधि के बाद सेवानिवृत्ति से तुरन्त पहले वाले 12 महीनों के औसत मूल वेतन का 50% पेंशन के रूप में,
- कम-से-कम 10 वर्ष की सेवा तक की अवधि के लिये पेंशन का आधार आनुपातिक,

2. सुनिश्चित पारिवारिक पेंशन (Assured Family Pension) :

- पेंशन कर्मचारी की मृत्यु होने पर परिवारजन को पेंशन देने का प्रावधान,
- पेंशन की राशि का निर्धारण मृत्यु से ठीक पहले कर्मचारी को मिलने वाले पेंशन के 60% के बराबर होगा।

3. सुनिश्चित न्यूनतम पेंशन :

- न्यूनतम 10 वर्ष तक काम करने वाले कर्मचारी को सेवानिवृत्ति के बाद प्रतिमाह 10000 पेंशन के रूप में दिया जाएगा।

✓ मुद्रास्फीति सूचकांक :

- उपरोक्त तीनों पेंशन प्रणालियों में महंगाई भत्ता (Dearness Allowance) अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक जो औद्योगिक श्रमिकों के लिये है, पर आधारित होगा।

✓ UPS की अन्य विशेषताएँ :

- ग्रेच्युटी के अलावा सेवानिवृत्ति पर एकमुश्त भुगतान,
- सेवा के प्रत्येक पूर्ण 3 महीने के लिये सेवानिवृत्ति की तिथि पर मासिक पारिश्रमिक (वेतन व महंगाई भत्ता) का 10%

✓ पेंशन कोष का विभाजन :

- UPS के तहत पेंशन कोष को 2 भागों में विभाजित किया गया है।
- पहला हिस्सा कर्मचारी और सरकार के योगदान के 10% के बराबर होगा, जिसे कर्मचारी द्वारा किए गए निवेश के विकल्प के अनुसार निवेशित किया जाएगा।
- पेंशन के लिये सरकार के योगदान का 8.5% का दूसरा हिस्सा अलग से जमा और निवेशित किया जाएगा।

✓ लाभ के दायरे में :

- सरकार के अनुसार से 23 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।
- UPS, NPS (राष्ट्रीय पेंशन प्रणाली) के तहत वर्तमान में नामांकित कर्मचारियों के लिए वैकल्पिक होगा।
- अगर राज्य कर्मचारियों को भी इसमें शामिल किया जाएगा तो 90 लाख कर्मचारी लाभान्वित होंगे।

✓ NPS के प्रमुख प्रावधान :

- केन्द्र सरकार द्वारा सशस्त्र बलों को छोडकर अन्य सभी कर्मचारियों के लिये 1 जनवरी 2004 से शुरूआत,
- पेंशन फंड नियामक एवं विकास प्राधिकरण को लागू करने के लिये जिम्मेदार संस्था,
- 1 मई 2009 से स्वैच्छिक आधार पर NPS का विस्तार सभी नागरिकों के लिये,
- NPS के लिये आवेदन करते समय उम्र सीमा 18-65 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
- देश का कोई भी व्यक्ति (निवासी व अनिवासी) NPS का लाभ लेने का हकदार,
- OCI (Overseas citizens of India), PIO (Person of Indian origin) एवं हिन्दू अविभाजित परिवार NPS के तहत सेवा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

Result Mitra